

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 222 / 2015

संस्थित दिनांक-30.06.2015

फाईलिंग नंबर-230303004892015

- 1- धर्मेन्द्र सिंह उर्फ आलोक सिंह
पुत्र पतोखी सिंह तोमर आयु 27 साल
- 2- पतोखीसिंह तोमर पुत्र पंचमसिंह तोमर
आयु 58 साल समस्त निवासीगण
ग्राम चन्दोखर थाना एण्डोरी जिला
भिण्ड

.....अपीलार्थीगण / आरोपीगण

वि रू द्व

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र एण्डोरी,

जिला-भिण्ड (म0प्र0).....प्रत्यर्थी / अभियोगी

अपीलार्थीगण / आरोपीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता
राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक

दाण्डिक अपील क्रमांक-223 / 15

संस्थित दिनांक-23.06.15

फाईलिंग नंबर-230303004902015

जहानसिंह पुत्र भगवानसिंह तोमर आयु 81 साल
निवासी ग्राम चन्दोखर परगना गोहद जिला भिण्ड
म0प्र0

.....अपीलार्थी

बनाम

1. धर्मेन्द्रसिंह उर्फ आलोक पुत्र पतोखी सिंह तोमर
आयु 27 साल
2. पतोखी सिंह तोमर पुत्र पंचमसिंह तोमर
आयु 58 साल निवासीगण चन्दोखर थाना
एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
3. राज्य शासन द्वारा-
आरक्षी केन्द्र एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री राघवेन्द्रसिंह पवैया अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक-1 एवं 2 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक-3 द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल ए0जी0पी0।

न्यायालय—श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
प्रकरण क्रमांक—529 / 2007 में पारित निर्णय व दण्डाज्ञा
दिनांक 03.06.2015 से उत्पन्न दांडिक अपीलें ।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक **09 फरवरी 2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा—374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री पंकज शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 529 / 2007 निर्णय दिनांक—03.06.2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा—323 भा0दं0सं0 के अपराध में 1000—1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। तथा अपीलार्थी जहानसिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय को अपास्त करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थीगण को दिय गये अर्थदण्ड के साथ साथ उन्हें कारावास की सजा से भी दण्डित किये जाने बाबत पेश की गई है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि दांडिक अपील क्रमांक—222 / 15 के आरोपी/अपीलार्थीगण धर्मेन्द्रसिंह एवं पतोखीसिंह तथा दांडिक अपील क्रमांक—223 / 15 का अपीलार्थी जहानसिंह एक ही गांव के निवासी होकर पड़ोसी हैं। तथा जहानसिंह वृद्ध होकर वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है। तथा घटना के आहत जहानसिंह एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण कल्यानसिंह व सुंदरसिंह आपस में पिता पुत्रगण हैं।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक—22.06.06 को सुबह लगभग 7.00 बजे ग्राम चन्दोखर में घरे के पास आरोपीगण ने फरियादी जहानसिंह तोमर की पटककर एवं लाठियों से मारपीट करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी जहानसिंह द्वारा उसी दिन थाना एण्डोरी पर की जाने पर थाना एण्डोरी में आरोपीगण के विरुद्ध अप0क्र0—17 / 07 अंतर्गत धारा—323, 324, 504 सहपठित धारा—34 भा.द.वि का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया। एवं विवेचना में घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र विचारण हेतु सक्षम जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण को धारा—323, 324 भा.द.वि. के तहत आरोप लगाये जाने पर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपीगण को धारा—323 भा0दं0सं0 के अपराध में 1000—1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।
5. अपीलार्थी/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि आहत जहानसिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक—2 में यह स्वीकार किया है कि अदम चैक, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस

कथन में आंख में भाला मारने वाली बात नहीं लिखी है जबकि न्यायालयीन साक्ष्य में यह साक्षी कहता है कि आरोपी धर्मेन्द्र ने भाला आंख में मारा। आहत के साथ कोई घटना घटित नहीं हुई। बल्कि बड़ा चढ़ाकर रंजिशन वर्णित किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आहत झूठ बोल रहा है। प्रकरण के चिकित्सक साक्षी डॉ० के०एन० शर्मा ने भी आहत की चोटों का समर्थन नहीं किया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पद क्रमांक-8 में अ०सा०-4 डॉ० के०एन० शर्मा के कथन का विश्लेषण किया है जो कि चक्षुदर्शी साक्षियों से समर्थित नहीं है। तथा दोनों आरोपी/अपीलार्थीगण को धारा-323 भा.द.वि में दोषी पाया है जबकि धारा-323 के अंतर्गत कोई सामान्य आशय आरोपीगण का दर्शित नहीं है। इसके उपरान्त भी दोनों ही आरोपीगण को धारा-323 भा.द.वि में दोषी मानने में गंभीर भूल की है। इसके विपरीत प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार न करते हुए आलोच्य निर्णय को पारित करने में भूल की है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे।

6. इसी प्रकार अपीलार्थी जहानसिंह की ओर से उक्त अपील प्रस्तुत कर यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान के विपरीत होने से काबिल निरस्ती है। तथा अपीलार्थी/फरियादी जहानसिंह की प्रत्यर्थी क्रमांक-1 व 2 ने मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। वे फरियादी के कथन व मेडिकल रिपोर्ट से भली भांति प्रमाणित हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का विधिसम्मत विवेचन किये बिना धारा-324 में शंका का लाभ देते हुए उसमें दोषमुक्त किया और धारा-323 भा.द.वि में दोषसिद्ध मानते हुए जिसमें एक साल की सजा है और धारा-324 में तीन साल की सजा है लेकिन सजा न देते हुए मात्र एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जो प्रकरण में परिस्थिति के अनुरूप सजा नहीं दी गई है। इसलिये जो दण्डाज्ञा दी गई है वह विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त की जावे। और आरोपीगण को अर्थदण्ड के साथ धारा-324, 323 भा.द.वि में कारावास की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित है तभी फरियादी को न्याय मिलेगा। फरियादी वृद्ध व्यक्ति था और उसकी प्रत्यर्थी क्रमांक-1 व 2 ने उसकी उम्र का ख्याल न रखे बिना ही उसकी मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाईं जो साक्ष्य से भली भांति प्रमाणित हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण सिद्ध माना है। लेकिन दण्डाज्ञा में कारावास की सजा नहीं दी गई है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.3015 कोई जोशी दण्डाज्ञा मात्र जुर्माने की दी है उसके साथ कारावास की सजा से प्रत्यर्थी क्रमांक-1 व 2 को दण्डित किये जाने हेतु यह अपील पेश की गई है।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय हैं :-

- 1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र०क्र०-529/007 में अपीलार्थी/आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2- क्या आरोपी/अपीलार्थीगण धर्मेन्द्रसिंह एवं पतोखी सिंह की दोषमुक्ति विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है? यदि हाँ तो प्रभाव-
- 3- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य निर्णय मुताबिक

धारा-323 भा0द0वि0 में आरोपी/अपीलार्थीगण को दी गई दण्डाज्ञा उचित/अनुचित है?

— निष्कर्ष के आधार —

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 लगायत 3 का निराकरण

8. उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।

नोट:— प्रकरण में आरोपीगण एवं फरियादी की ओर से परस्पर दाण्डिक अपीलें प्रस्तुत की गई हैं इसलिये आगे विश्लेषण में कोई भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो, इस दृष्टि से समेकित कर अपील क्रमांक-222/15 के अपीलार्थी/आरोपीगण को आरोपीगण के रूप में एवं अपील क्रमांक-233/15 के अपीलार्थी फरियादी जहानसिंह को फरियादी/आहत के रूप में संबोधित किया जा रहा है।

9. दाण्डिक अपील क्रमांक-222/15 के आरोपीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में मूल रूप से इस बिन्दु पर बल दिया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-324 भा0द0वि0 के आरोप से दो आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया और उसके संबंध में फरियादी जहानसिंह एवं उसके पुत्रगण कल्यानसिंह एवं सुंदरसिंह के कथनों को अविश्वसनीय माना किन्तु उसी साक्ष्य के आधार पर धारा-323 भा0द0वि0 में दोषसिद्धि कर दण्डित किया गया है जबकि विधिक रूप से यह उचित नहीं है और फरियादी व उसके पुत्रों के द्वारा न्यायालय में बढ़ा चढ़ाकर रंजिश के आधार पर कथन दिया जाना ही इससे प्रकट होता है और उससे यह सिद्ध हो जाता है कि फरियादी झूठ बोल रहा है किन्तु इस बिन्दु पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और निष्कर्ष निकालने में गंभीर भूल की है। मेडिकल साक्ष्य से भी चोटों का समर्थन चिकित्सक द्वारा नहीं किया गया था जिससे भी दोषसिद्धि दूषित है। इसलिये आलोच्य निर्णय अपास्त कर आरोपीगण को धारा-323 भा0द0वि0 के अपराध से दोषमुक्त किया जावे। विकल्प में उनकी ओर से यह तर्क भी किया गया है कि आरोपी धर्मेन्द्रसिंह उर्फ आलोक घटना के समय 21 वर्ष से कम आयु का था इसलिये उसे प्रकरण में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत लाभ दिया जाना चाहिए था किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने परिवीक्षा का लाभ न देकर विधिक त्रुटि की है और अपील न्यायालय यदि दोषसिद्धि उचित ठहराता है तो आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ आलोक को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ा जावे। इस संबंध में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत **वेदप्रकाश विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए0आई0आर0 1981 सुप्रीमकोर्ट पेज-643** पेश किया गया है।

10. फरियादी/आहत जहानसिंह की ओर से प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील क्रमांक-223/15 के संदर्भ में उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोपीगण अधिवक्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए अपने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आहत जहानसिंह एवं घटना के चक्षुदर्शी साक्षी कल्यानसिंह एवं सुंदरसिंह के द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया है तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी घटना का समर्थन होता है और आहत जहानसिंह को दाहिनी आंख पर चोटें आई थीं जिससे उसे तकलीफ है क्योंकि आंख में लैन्स डला हुआ था और वह 80-85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है। वृद्ध व्यक्ति की मारपीट करके आरोपीगण द्वारा गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं और अधीनस्थ न्यायालय के

अभिलेख पर आई साक्ष्य से धारा-324 भा0द0वि0 का अपराध भी प्रमाणित हुआ है जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकालते हुए संदिग्ध माना। जबकि फरियादी की निर्दयतापूर्वक मारपीट आरोपीगण द्वारा की गई थी इसलिये आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं और उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित दण्ड नहीं दिया गया है। धारा-323 भा0द0वि0 में एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है और धारा-324 भा0द0वि0 में तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान होते हुए केवल अर्धदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा को निरस्त किया जाकर फरियादी की अपील स्वीकार कर आरोपीगण को कारावास की उचित दण्डाज्ञा से दण्डित किया जाकर फरियादी के साथ न्याय किया जावे।

11. मूल अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि अभियोजन कथानक द्वारा जो घटना बताई गई है उसमें फरियादी जहानसिंह के द्वारा दिनांक 22.06.06 को दिन के 2.30 बजे की ग्राम चंदोखर में अपने घर के पास घूरे की घटना बताते हुए शाम सात बजे थाना एण्डोरी जाकर प्र0पी0-1 की जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें यह बताया गया था कि घटना के समय जहानसिंह के पुत्र कल्यानसिंह व सुंदरसिंह घूरा डाल रहे थे तो धर्मेन्द्र व पतोखी ने आकर विरोध किया। जो लाठी लेकर आये थे और विरोध करते हुए गाली-गलौच की। मना करने पर धर्मेन्द्र ने जहानसिंह को पटक दिया जिससे उसकी दाहिनी आंख में चोटें आ गईं और उसकी आंख बनी थी उसमें लैन्स डला था जिससे दर्द होने लगा। फिर पतोखीसिंह ने भी लाठी मारी। तब सुंदरसिंह व कल्यानसिंह ने आकर उसे बचाया व घटना देखी और वे रिपोर्ट को ले गये। जहानसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर से धारा-155 दप्रसं के अंतर्गत पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना के रूप में रिपोर्ट लेखबद्ध करते हुए उसे रोजनामचासान्हा क्रमांक-516 पर भी दर्ज किया गया और जहानसिंह को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा गया। मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर संज्ञेय अपराध पाते हुए धारा-324, 323, 504, 34 भा0द0वि0 में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन लेने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई जिस पर से अभियोग पत्र अनुसंधान बाद पेश किये जाने पर विचारण में अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित कराये गये उनमें फरियादी/आहत जहानसिंह अ0सा0-1 के अलावा उसके पुत्रगण कल्यानसिंह अ0सा0-2 एवं सुंदरसिंह अ0सा0-3, एम0एल0सी0 करने वाले डॉ0 के0एन0 शर्मा अ0सा0-4 और घटना के विवेचक प्र0आर0 तहसीलदार अ0सा0-5 को पेश किया गया है। आरोपीगण की ओर से रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है किन्तु रंजिश के बिन्दु पर कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. प्रकरण में अभिलेख पर जो तथ्य स्पष्ट रूप से आये हैं तथा जो स्वीकृत तथ्य हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि आहत/फरियादी जहानसिंह और घटना के बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी कल्यानसिंह, सुंदरसिंह एक ही परिवार के सदस्य होकर पिता पुत्र हैं और उनकी आपस में हितबद्धता है। किन्तु केवल इसी आधार पर उनकी साक्ष्य को न तो अविश्वसनीय माना जा सकता है न ही त्यागा जा सकता है। यह अवश्य है कि उनकी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। न्याय दृष्टांत गंगाधर बेहरा एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ उड़ीसा (2002) 8 एस0सी0सी0 पेज-381 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि साक्षीगण आपस में पिता व पुत्रगण होकर आपस में संबंधी हों तो उनकी साक्ष्य यदि अन्यथापूर्ण विश्वसनीय हो तो केवल इस आधार पर उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे पिता

पुत्रगण हैं।

13. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अ0सा0-1 लगायत 3 के अभिसाक्ष्य में आरोपी धर्मेन्द्र के पास भाला बताये जाने और भाले से चोटें पहुंचाये जाने के संबंध में जो साक्ष्य दी है उसे विश्वसनीय नहीं माना है और उसके आधार पर तथा चिकित्सीय साक्ष्य का समर्थन न होने से धारा-324 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्ति की है जिसे मूल्यांकित किये जाने पर यह प्रकट होता है कि भाला आरोपी धर्मेन्द्र सिंह के पास होने का बिन्दु सर्वप्रथम न्यायालय में अ0सा0-1 लगायत 3 के द्वारा दी गई साक्ष्य के दौरान ही प्रकट किया गया है। इससे पूर्व भाला धर्मेन्द्र के पास होना और उसका घटना में उपयोग किये जाने का बिन्दु अनुसंधान के दौरान प्रकट नहीं हुआ। जहानसिंह अ0सा0-1 ने इस संबंध में पैरा-2 में पुलिस कथन प्र0डी0-1 में भी यह बात लिखाना बताई कि उसकी आंख में धर्मेन्द्र ने भाला मारा था। लेकिन यदि पुलिस ने न लिखा हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता है जिसके संबंध में विवेचक प्र0आर0 तहसीलदार अ0सा0-5 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में सार रूप में यह कहा है कि उसने फरियादी जहानसिंह का उसके बताये अनुसार ही कथन लिया था, जैसा बताया था वैसा ही लिखा था जिससे भाला के बिन्दु पर अभियोजन की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में तात्त्विक स्वरूप के विरोधाभास की स्थिति है। आरोपी धर्मेन्द्र के पास भाला कब और कैसे आ गया, इसके बारे में भी न तो फरियादी/आहत जहानसिंह ने स्थिति स्पष्ट की है न ही घटना के दोनों चक्षुदर्शी साक्षी कल्याण और सुंदरसिंह ने कोई स्पष्टीकरण दिया है जबकि वह मुख्य परीक्षण में धर्मेन्द्र पर लाठी होना भी बताते हैं। जहानसिंह अ0सा0-1 ने पैरा-1 में धर्मेन्द्र के द्वारा पटकना और लाठी मारना भी बताया है जिससे उसकी दाहिनी आंख में चोटें आई, बताया है। भाला कहाँ लगा यह उसके मुख्य परीक्षण में नहीं आया है। पैरा-2 में अवश्य उसने धर्मेन्द्र के द्वारा आंख में भाला मारना कहा है और पुलिस को रिपोर्ट व कथन में भी लिखाना कहा है।
14. आंख में लैन्स के संबंध में पैरा-3 में उसके द्वारा घटना के दो तीन साल पहले आंख में लैन्स डलना बताया है तथा आंख के बगल में बल्लम लगना भी कहता है जिससे चार पांच टांके भी आंख में आना कहता है। जबकि बल्लम की स्थिति पूरे कथानक में भी नहीं है न ही मुख्य परीक्षण में आई है। कल्याणसिंह अ0सा0-2 कचरा डालने के उपर से विवाद सुबह का होना बताता है तथा अपने पिता जहानसिंह की चोटों के संबंध में पैरा-3 में वह कहता है कि उसके पिता घर में बेहोश भी हो गये थे और डेढ़ घण्टे बाद उन्हें होश आया था। पैरा-4 में उसने यह भी कहा है कि रिपोर्ट के बाद उसके पिता को गोहद अस्पताल जीप से लेकर गये थे और भर्ती किया था। उसके पिता को ग्वालियर रिफर किया गया था। ग्वालियर में तीन चार दिन उसके पिता भर्ती रहे थे। पुरानी किसी रंजिश से उसने पैरा-2 में इन्कार किया है। सुंदरसिंह अ0सा0-3 भी पैरा-1 में आरोपीगण का लाठी लेकर आना, गाली-गलौच करना व मारपीट करना बताता है और धर्मेन्द्र के द्वारा बल्लम से भी पिता की दांयी आंख में चोटें पहुंचाई जाना बताता है। पैरा-2 में वह पिता का दो तीन घण्टे बेहोश रहना और थाने तक बेहोशी की स्थिति बताता है। जबकि अ0सा0-2 के पैरा-4 मुताबिक रिपोर्ट उसके पिता ने की थी और उस समय वे होश में थे तथा रिपोर्ट बोलकर लिखाई थी।
15. इस प्रकार से तीनों ही साक्षी अपने अपने अभिसाक्ष्य में घटना को गंभीरता देने के आशय से विकास करते हुए अभिसाक्ष्य देना तो परिलक्षित होते हैं किन्तु उनके द्वारा न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कथानक का जो विकास करते हुए

बेहोशी की बात और भाला या बल्लम से चोटिल किये जाने की बात बताते हैं वह अपनी साक्ष्य को बल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाना प्रकट होती है। किन्तु उसके आधार पर संपूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय माने जाने का कोई भी नियम नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **कृष्णा मोची विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए0आई0आर0 2002 एस0सी0 पेज-1991** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी सार्वभूत पत्र पर किसी साक्षी के मिथ्या कथन करने के आधार पर उसके समस्त अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। जैसी कि इस प्रकरण में स्थिति है। इसलिये अ0सा0-1 लगायत 3 के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर अभिसाक्ष्य देने से उनकी संपूर्ण अभिसाक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। और भारतवर्ष में प्रचलित दाण्डिक विधि के संबंध में यह सुस्थापित सूचित है कि एक बात में मिथ्या तो सब बातों में मिथ्या का सिद्धान्त भारतवर्ष में लागू नहीं होता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **रणजीतसिंह एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 ए0आई0आर0 2011 सुप्रीमकोर्ट 255** में भी मार्गदर्शित है। इसलिये बढ़ा चढ़ाकर किये गये अभिसाक्ष्य के आधार पर तीनों ही साक्षियों की संपूर्ण साक्ष्य अग्राह्य नहीं की जा सकती है।

16. डॉ० के०एन० शर्मा अ0सा0-4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में आहत/फरियादी जहानसिंह की चोटों का परीक्षण दिनांक 23.06.06 को सी०एच०सी० गोहद में इमरजेन्सी ड्यूटी में चिकित्सा अधिकारी की हैसियत से करना बताते हुए आहत के शरीर पर दांयी आंख के सुराउण्डिंग घेरे में उक्त नीलगू निशान की चोटें आना बताया है। तथा आहत के द्वारा खकार में खून का आना और दाहिने आंख की रोशनी कम हो जाना परीक्षण के समय बताया गया है जिसकी उसने प्र०पी०-5 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी तथा उक्त चिकित्सक के मुताबिक जो चोट क्रमांक-1 दांयी आंख के सुराउण्डिंग घेरे में नीलगू निशान के रूप में पाई उसे सख्त व मौथरी वस्तु से आना तथा साधारण प्रकृति की होना व परीक्षण से 24 घण्टे के अंदर की होना बताया है। आहत के द्वारा जो अन्य कारक खकार में खून आना और दाहिनी आंख की रोशनी कम होने की जो शिकायत की गई थी, उसके संबंध में चोट क्र०-2 बाबत नाक व एकसरे परीक्षण की सलाह दी थी और चोट क्रमांक-3 के रूप में जो कम रोशनी होने की बात बताई गई उसके लिये नेत्र विशेषज्ञ के अभिमत हेतु रिपोर्ट करना बताया है। उक्त चिकित्सक ने यह तो माना है कि आहत करीब 75 वर्ष का था, अन्य कोई बिन्दु उसकी साक्ष्य में नहीं आया है जिससे आहत के द्वारा परीक्षण के समय जो शिकायत की गई, उसके अलावा बाहरी तौर पर आहत की जो उक्त चोट दाहिनी आंख के सुराउण्डिंग घेरे में पाई गई, वह सख्त व मौथरी वस्तु की होकर नीलगू निशान के रूप में पाई गई जो कि चिकित्सीय साक्ष्य मुताबिक धारा-323 भा०द०वि० की परिधि की चोट है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-324 भा०द०वि० का अपराध संदिग्ध मानते हुए उसमें आरोपीगण की दोषमुक्ति जो की गई है, उसे अभिलेख पर आई साक्ष्य के अनुरूप होने से उचित व विधिसम्मत पाया जाता है। इसलिये धारा-324 भा०द०वि० के अपराध में दोषसिद्धि के संबंध में पेश की गई दाण्डिक अपील क्रमांक-223/15 में लिये गये आधार सुदृढ़ न होने से वह स्वीकार योग्य नहीं है।

17. प्रकरण आरोपीगण पतोखीसिंह और धर्मेन्द्र उर्फ आलोक आपस में पिता पुत्र हैं। आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण भी आपस में पिता पुत्र हैं और पड़ोसी हैं। बताई गई घटना दिनांक को आरोपीगण के कहीं अन्यत्र होने का न तो आधार लिया है न ही उसके संबंध में कोई स्थिति प्रकट की गई है जिससे उनकी घटना दिनांक को ग्राम पंचायत में उपस्थिति सुनिश्चित हो जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय

ने दोनों ही आरोपीगण को धारा-323 भा0द0वि0 के अपराध के लिये दोषी ठहराया है। सामान्य आशय के अंतर्गत दोषसिद्धि नहीं की गई है न ही सामान्य आशय का आरोप विरचित था इसलिये यह विश्लेषित करना होगा कि प्रत्यक्ष साक्ष्य में दोनों आरोपियों का कोई ओव्हर एक्ट प्रमाणित है या नहीं।

18. कथानक में दोनों आरोपीगण के द्वारा लाठी से फरियादी/आहत जहानसिंह को मारना बताया गया है और उसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें भी स्वयं जहानसिंह अ0सा0-1 ने दोनों आरोपियों के द्वारा लाठियों से मारना बताया है जिसमें धर्मेन्द्र ने उसे पटककर दांयी आंख में लाठी की चोट पहुंचाई। पतोखी सिंह ने उसे पीठ में लाठियाँ मारना बताया है और इस बात से इन्कार किया है कि उसने और उसके लड़कों ने सोमवती की मारपीट की थी और उसे चोटें पहुंचाई थीं जिसके संबंध में सोमवती ने दिनांक 22.06.06 को रिपोर्ट की थी और उसके दूसरे दिन आरोपी धर्मेन्द्र के घर जाकर गाली-गलौच कर उसकी मारपीट रामप्रकाश जो कि जहानसिंह का लड़का है, उसने की थी और कल्यान ने धर्मेन्द्र को पटका था।
19. जहानसिंह अ0सा0-1 ने पैरा-3 में ग्वालियर में दस दिन भर्ती रहना कहा है किन्तु भर्ती रहने का कोई भी प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। एवं के0एन0 शर्मा अ0सा0-4 के द्वारा आहत को नाक व चेहरे के एकसरे के लिये और आंख के संबंध में नेत्र विशेषज्ञ की ओर रिफर करना तो बताया है किन्तु उक्त चिकित्सक की रिपोर्ट किये जाने पर आहत का क्या इलाज हुआ?, कहाँ हुआ?, कितने दिन हुआ?, क्या आहत जहानसिंह भर्ती रहा? यदि इलाज हुआ तो उसमें किस प्रकृति की चोटें बताई गई? इस संबंध में अभियोजन की ओर से कोई चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाना भी परिलक्षित होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी आलोच्य निर्णय की कण्डिका-9 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अभियोजन द्वारा डॉ0 व्ही0एस0 तोमर का परीक्षण नहीं कराया गया है जिसे नेत्र विशेषज्ञ की हैसियत से आहत को रिफर किया गया। ऐसे में प्र0पी0-3 की एम0एल0सी0 रिपोर्ट के अलावा अभिलेख पर अन्य कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है और प्र0पी0-3 के आधार पर आहत की चोट साधारण प्रकृति की सख्त व मौथरी वस्तु की होना ही परिलक्षित होती हैं। जो समयावधि बताई गई है उससे बताई गई घटना के समय की आहत की चोट होना अवश्य प्रकट होता है।
20. कल्यानसिंह अ0सा0-2 एवं सुंदरसिंह अ0सा0-3 के अभिसाक्ष्य में भी इस आशय की स्पष्ट साक्ष्य आई है कि दोनों आरोपीगण अर्थात् पतोखीसिंह उसके पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ आलोक के द्वारा जहानसिंह को लाठियों से मारा गया था और पटका भी गया था। पतोखीसिंह द्वारा 3-4 लाठियाँ पीठ, कमर में मारना साक्षी बताते हैं। वे भी ग्वालियर में जहानसिंह का भर्ती होना कहते हैं। किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। न ही यह स्पष्ट किया गया है कि ग्वालियर में कहाँ भर्ती रहा। किसने इलाज किया। ऐसे में अ0सा0-1 लगायत 3 की मौखिक प्रत्यक्ष साक्ष्य से दोनों आरोपीगण अर्थात् पतोखीसिंह और धर्मेन्द्रसिंह के द्वारा अभियोजन की बताई गई घटना में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए दोनों ही के द्वारा जहानसिंह को सख्त व मौथरी वस्तु लाठी से चोटें पहुंचाई जाना अवश्य प्रमाणित होता है जिससे उनका व्यक्तिगत कृत्य भी धारा-323 भा0द0वि0 की परिधि के अंतर्गत है।

21. इस तरह से अभिलेख पर धारा-323 भा0द0वि0 के अपराध के संबंध में मौखिक प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य में समरूपता है। ऐसा ही दोनों आरोपीगण का घटना कारित करने के लिये आपस में कोई सामान्य आशय था या नहीं, यह प्रश्न गौण हो जाता है और उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ही आरोप विरचित कर विचारण किया गया है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों आरोपीगण को धारा-323 भा0द0वि0 के अपराध में मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित मानते हुए दोषसिद्ध करने का जो निष्कर्ष आलोच्य निर्णय मुताबिक दिया है, उसे विधि विरुद्ध या तथ्य व साक्ष्य के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। ऐसे में दोषसिद्धि के बिन्दु पर आरोपीगण पतोखीसिंह एवं धर्मेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत की गई दांडिक अपील क्रमांक-222/15 दोषसिद्धि के बिन्दु पर सुदृढ़ व स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है।
22. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, आरोपीगण की ओर से अपील क्रमांक-222/15 में दण्डाज्ञा को अविवेकपूर्ण कहा गया है। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऊपर वर्णित न्याय दृष्टांत को पेश किया गया है जिसका अध्ययन करने पर यह प्रकट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित **वेदप्रकाश वाले** न्याय दृष्टांत में आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा-4 के तहत सदाचार की प्रतिभूति के आधार पर उसके 21 वर्ष से कम आयु का होने के आधार पर लाभ देते हुए छोड़ा गया था। जिसमें सशर्त प्रतिभूति तीन वर्ष के लिये ली गई थी। उक्त न्याय दृष्टांत वाले मामले में घटना दिनांक को आरोपी 21 वर्ष से कम आयु का था। हस्तगत मामले में आरोपी धर्मेन्द्रसिंह 21 वर्ष से अधिक आयु का होकर अधीनस्थ न्यायालय में हुए निराकरण के समय 27 वर्ष का था। घटना के समय वह अवश्य 19 वर्ष का नवयुवक था। उसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में धारा-313 दफ़्तार के तहत हुए अभियुक्त परीक्षण के समय विद्वार्थी होना बताया गया है जिसका खण्डन नहीं है। अभिलेख पर पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है।
23. घूरा डालने के तुच्छ विवाद पर से घटना घटित हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में घूरा डालने के ऊपर से विवाद आम तौर पर होते रहते हैं। पतोखीसिंह अवश्य प्रौढ़ावस्था का होकर 58 वर्षीय व्यक्ति है। उसके विरुद्ध भी पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है किन्तु पतोखीसिंह को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ दिये जाने की पात्रता नहीं आती है बल्कि धर्मेन्द्र के संबंध में अवश्य मानी जा सकती है क्योंकि वह अभी विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके समक्ष अभी अपना पूरा जीवन शेष है जिसे अवश्य प्रतिरक्षा अधिनियम 1958 की धारा-4 के तहत सदाचरण की प्रतिभूति एवं बंध पत्र शर्तों सहित लिये जाकर लाभ दिया जाना उचित व न्यायसंगत होगा। क्योंकि ऊपर वर्णित न्याय दृष्टांत में भी अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा-4 के तहत सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़े जाने के संबंध में जो मार्गदर्शन दिया गया है उसमें 21 वर्ष की आयु घटना दिनांक को आंकलित की गई थी। हालांकि अभिलेख पर परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट नहीं है क्योंकि उसे विचारण न्यायालय द्वारा मंगाया ही नहीं गया है। किन्तु आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ आलोक के प्रथम अपराधी होने के संबंध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं और पक्षकारों के पड़ोसी होने की स्थिति को देखते हुए भविष्य में उनके मध्य और अधिक वैमनस्यता उत्पन्न हो, इस दृष्टि से भी आरोपी धर्मेन्द्रसिंह उर्फ आलोक को प्रतिरक्षा का लाभ दिया जाना उचित होगा। इन बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दण्डाज्ञा अधिरोपित करते समय ध्यान नहीं दिया

गया है। इसलिये आरोपी धर्मेन्द्रसिंह उर्फ आलोक के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की धारा-323 भा0द0वि0 की एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा को अपास्त किया जाकर उसके स्थान पर दस हजार रुपये की एक सक्षम स्थानीय प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का आरोपी का स्वयं का बंध पत्र तीन वर्ष की कालावधि के लिये शर्तों सहित ली जाकर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

24. फलतः आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ आलोक को आदेशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में सात दिवस के भीतर दस हजार रुपये की एक सक्षम स्थानीय प्रतिभूति एवं इतने ही राशि का स्वयं का बंध पत्र तीन वर्ष की कालावधि के लिये इस शर्त के साथ प्रस्तुत किये जावें कि वह उक्त अवधि में किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा, परिशांति कायम रखेगा, फरियादी सहित पड़ोस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनायेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। उक्त अवधि में यदि उसे विचारण न्यायालय द्वारा आहूत किया जाता है तो वह तीन माह का साधारण कारावास भुगतने हेतु स्वयं को विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पित करेगा तथा आरोपी पतोखीसिंह के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया एक हजार रुपये का अर्थदण्ड उचित दण्डादेश होना पाया जाता है और उसके संबंध में दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी अपील प्र0क्र0-222/15 को विचारोपरान्त निरस्त किया जाता है। फरियादी/आहत जहानसिंह की ओर से की गई दाण्डिक अपील क्रमांक- 223/15 को सद्भावनापूर्ण न पाये जाने के आधार पर वाद विचार अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।
25. आरोपीगण की ओर से अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
26. प्रकरण में निराकरण के लिये कोई संपत्ति नहीं है।
27. आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ आलोक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया गया एक हजार रुपये का अर्थदण्ड दाण्डिक पुनरीक्षण/अपील अवधि उपरान्त विधिवत वापिस किया जावे। तथा एक हजार रुपये का अर्थदण्ड धारा-357 दप्रसं के तहत फरियादी जहानसिंह पुत्र भगवानसिंह तोमर निवासी चंदोखर को निगरानी/अपील अवधि पश्चात बतौर क्षतिपूर्ति विधिवत प्रदान की जावे।
28. निर्णय की नकल आरोपीगण एवं फरियादी/आहत जहानसिंह को निःशुल्क प्रदान की जावें एवं एक नकल डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावें।

दिनांक: 09 फरवरी-2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड